श्रम विभाग

दिनांक 14 अक्तूबर, 1987

सं० 5(54)83-3श्रम.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 8 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा श्री एस० बी० आहुजा, अपर जिला तथा सैशन न्यायाधीश को, उनके कार्यभार सम्भालने की तिथि से औद्योगिक प्राधिकरण, फरीदाबाद के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं ।

सं० 5(54)83-3 श्रम.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 8 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा श्री ए० एस० वालिया, अपर जिला तथा सैशन न्यायाधीश को, उनके कार्यभार सम्भालने की तिथि से श्रम न्यायालय, फरीदाबाद के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं ।

मीनाक्षी आनन्द चौधरी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग ।

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 13 नवम्बर, 1987

क्रमांक 1138-ज-I-87/33813.—श्री सुन्दर सिंह, पुत्र श्री निधान सिंह, मकान नं० 251, कबीर स्ट्रीट, यमुनानगर, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला को पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948, की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1)(ए) के अधीन सरकार की अधिसूचना क्रमांक 10981-जे०-एन०-III-65/10641, दिनांक 13 दिसम्बर, 1965 द्वारा 100 रुपए वार्षिक और बाद में अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-3-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 150 रुपये और उसके बाद अधिसूचना क्रमांक 1789-ज-(I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979, द्वारा 150 रुपये से बढ़ा कर 300 रुपये वार्षिक वार्षिक की दर से जागीर मंजूर की गई थी ।

2. अब श्री सुन्दर सिंह की दिनांक 17 फरवरी, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस जागीर को श्री सुन्दर सिंह की विधवा श्रीमती प्रकाश कौर के नाम खरीफ, 1983 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील करते हैं ।

सोमनाथ रत्न,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व (लेखा व जागीर) विभाग ।